>

Title : Need to exempt Gujarat Safai Kamdar Vikas Nigam from Income Tax.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): राज्य सरकार के सघन प्रयासों के बावजूद तथा निगम के अधिकारियों एवं गुजरात राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के उच्च अधिकारियों द्वारा केन्द्र के वित्त मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पत्राचार भी किया गया है । फिर भी गुजरात सफाई कामदार विकास निगम को इनकम टैक्स से मुक्ति नहीं मिल रही है जबकि इन्कम टैक्स 1961 सेक्शन 10 (26बी) के अंतर्गत समग्र गुजरात राज्य में कार्यरत स्टेटचेनेलाइजिंग एजेन्सियों की जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग कार्यरत है । उन्हें इनकम टैक्स से मुक्ति प्राप्त है फिर निगम को ये छूट क्यों नहीं प्राप्त है । बल्कि इन्कम टैक्स विभाग, गुजरात राज्य द्वारा रूपये 25.53 करोड़ का इनकम टैक्स निगम पर आरोपित किया गया है ।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इन गरीब लोगों की खस्ता हालत देखकर उन्हें इनकम टैक्स से मुक्ति प्रदान करें ।